



| | | |
|---|--|--|
|  सत्यमेव जयते | भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी - II) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज Indian Audit and Accounts Department Office of the Accountant General (A&E-II) Uttar Pradesh, Prayagraj |  SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA अखिल भारतीय लेखाधिकारी Dedicated to Truth in Public Interest |
|---|--|--|

पत्रांक:ले.ह.-ii//नि.स.(प्र.)/गुप-ii/परिपत्र/674990 दिनांक:- 27/05/2024

सेवा में,
अधिशाषी अभियंता
संबन्धित खंड

विषय:- प्रपत्र 73-D के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह सूच्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या ए-2-47/दस-97-10(9)/95 दिनांक 03/03/1997 द्वारा डिपॉजिट स्टॉक के लेखे फॉर्म 72-D एवं 73-D के माध्यम से प्रेषित किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे। किन्तु बहुत से खंडों द्वारा मासिक लेखे के साथ प्रपत्र 72-D एवं 73-D प्रेषित नहीं किए जा रहे हैं। अपितु सामान्य स्टॉक सस्पेन्स (बजटीय) में प्रयुक्त फॉर्म 72 एवं 73 ही प्रेषित किए जा रहे हैं। अतः उक्त के आलोक में सभी खंडों को यह निर्देशित किया जाता है कि सामान्य स्टॉक सस्पेन्स (बजटीय) में प्रयुक्त फॉर्म 72 एवं 73 के साथ ही खंड के डिपॉजिट कार्य के लिए प्रत्युक्त स्टॉक का विवरण फॉर्म 72-D एवं 73-D के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

Signed by Chauharja

Prasad Singh

Date: 27-05-2024 11:52:40
व.ले.अ.नि.स. (प्र)

पत्रांक:ले.ह.-ii//नि.स.(प्र.)/गुप-ii/परिपत्र

प्रतिलिपि:- संबन्धित खंडीय लेखाकार/खंडीय लेखाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्परता से कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक:-

sld

व.ले.अ.नि.स. (प्र)